

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय

भोपाल, मध्यप्रदेश
ईमेल- dpswbpl@nic.in

क्रमांक/समग्र/2017/110/622

भोपाल दिनांक 16/11/2017

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
2. समस्त आयुक्त नगर निगम
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
5. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिक/नगर पंचायत
मध्यप्रदेश।

विषय :- समग्र आईडी के संबंध में।

समग्र पोर्टल पर मध्यप्रदेश में निवासरत परिवारों/सदस्यों का पंजीयन संबंधित ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालयों द्वारा किया जाता है। पोर्टल पर दर्ज जानकारी के आधार पर विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्रतानुसार दिया जाता है। विभिन्न जिलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रदेश के बाहर से आये व्यक्तियों का समग्र पोर्टल पर पंजीयन के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

उक्त संबंध में लेख है कि प्रदेश के बाहर से आये व्यक्तियों जो की वर्तमान में स्थाई/अस्थायी रूप से निवासरत है, के समग्र पोर्टल पर पंजीयन के लिये इलेक्शन कमिशन द्वारा वोटर आईडी बनाने की प्रक्रिया के अनुसार ही समग्र पोर्टल पर पंजीयन (समग्र आईडी बनाने) की कार्यवाही स्थानीय निकाय द्वारा किये जा रहे प्रमाणीकरण के आधार पर की जा सकती है। अतः जो व्यक्ति क्षेत्र अर्थात सामान्यतः निवासरत हो उनका नाम समग्र में दर्ज होना सुनिश्चित करें। पलायन की स्थिति में व्यक्ति के नाम के आगे तदनुसार इंड्राज किया जाये।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।



(अशोक शाह)

प्रमुख सचिव,

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण विभाग